

16<sup>5</sup>/<sub>22</sub>

वादी / प्राची अधिवक्ता उपस्थित  
बहस हेतु समय थाहा। 71 की  
अवधि आगामी वैशी तक बगर  
जाती है। पत्रावली वास्ते बहस  
दिनांक 22/06/22 को वैशी है।

22<sup>6</sup>/<sub>22</sub>

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची  
अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस  
सुनी गई। बहस पर मनन किया  
व पत्रावली का अपलोकन किया  
गया। प्रकरण में अप्राची संख्या 1  
के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही  
के आदेश हैं। लिहाजा प्रकरण में  
जारी दिनांक 12/11/2018 की  
अस्थायी निवेधाना को मूलवाद  
के निर्णय तक स्थायी किया जाता  
है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर  
से कम होकर मूलवाद के साथ  
संलग्न है।



अध्यक्ष अधिकारी (बजट)  
श्री कृष्णपूर